न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व वाद 89/2016

वादी :–

1. जबराराम पुत्र जेठाराम जाति भील निवासी कचहरी रोड बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सोमा पुत्र वगताराम जाति भील निवासी सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
2. खीमाराम पुत्र उमाराम जाति भील निवासी मंडली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

वाद मत्र वास्ते बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री करणसिंह वादीगण वकील
2. श्री प्रियतम आजाद प्रतिवादीगण वकील

निर्णय दिनांक 15.12.2016

वादी ने यह वाद ग्राम कलावा तहसील पचपदरा के ख0न0 429, 539/35 रकबा कमशः 8.07 बीघा 30 बीघा के बाई मिटस एवं विभाजन हेतु प्रस्तुत किया है वादपत्र में व्यक्त किया है कि खसरा न0 429 क्षैत्रफल 8 बीघा 7 बिस्वा मे वादी का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 का है तथा शेष 3/5 हिस्सा प्रतिवादी सख्या–2 का है। ख0न0 539/35 रकबा 30 बीघा भूमि में वादी का 4/5 हिस्सा है एवं शेष 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का है इसी प्रकार सामलाती कब्जा काश्त है एवं रेकर्ड मे हिस्से दर्ज है बंटवाडा नहीं होने से काश्त के समय असुविधा रहती है जिससे बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा हेतु वाद प्रस्तुत करना अवाश्यक हुआ साथ ही प्रतिवादी स0 1,2 सम्पूर्ण आराजी का बेचान की धमकियां दे रहे है जिससे स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद लाना ही आवश्यक हुआ है।

दावा दिनांक 4.7.2016 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के विरूद्व सम्मन जारी किये किया प्रतिवादी सख्या–1 की और से दिनांक 8.11.2016 को जबाब प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी सख्या – 2 के सम्मन तामील होने के उपरान्त की अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

वाद के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न0 429 मे वादी का 1/5 हिस्सा है, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का है शेष 3/5 हिस्सा प्रतिवादी सख्या–2 का है। ख0न0 539/35 रकबा 30 बीघा भूमि मे वादी का 4/5 हिस्सा है तथा शेष 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 का है। वादी ने इसी प्रकार विभाजन चाहा है। प्रतिवादी संख्या –1 को विभाजन मे कोई आपती नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। वादी ने अभिलेख मे दर्ज उसके हिस्से अनुसार ही विभाजन चाहा है जिससे विभाजन हेतु वाद स्वीकार

मुकदमा नं0 राजस्व पार्ट 89/2016

वादी :–

1. जबराराम पुत्र जेठाराम जाति भील निवासी कचहरी रोड बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सोमा पुत्र वगताराम जाति भील निवासी सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
2. खीमाराम पुत्र उमाराम जाति भील निवासी मंडली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

वाद पत्र वास्ते बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री करणसिंह वादीगण वकील
2. श्री प्रियतम आजाद प्रतिवादीगण वकील

निर्णय दिनांक 15.12.2016

वादी ने यह वाद ग्राम कलावा तहसील पचपदरा के ख0न0 429, 539/35 रकबा कमशः 8.07 बीघा 30 बीघा के बाई मिटस एवं विभाजन हेतु प्रस्तुत किया है वादपत्र में व्यक्त किया है कि खसरा न0 429 क्षैत्रफल 8 बीघा 7 विस्वा मे वादी का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 का है तथा शेष 3/5 हिस्सा प्रतिवादी सख्या–2 का है। ख0न0 539/35 रकबा 30 बीघा भूमि में वादी का 4/5 हिस्सा है एवं शेष 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का है इसी प्रकार सामलाती कब्जा काश्त है एवं रेकर्ड मे हिस्से दर्ज है बंटवाडा नहीं होने से काश्त के समय असुविधा रहती है जिससे बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा हेतु वाद प्रस्तुत करना अवाश्यक हुआ साथ ही प्रतिवादी स0 1,2 सम्पूर्ण अराजी का बेचान की धमकियां दे रहे है जिससे स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद लाना ही आवश्यक हुआ है।

दावा दिनांक 4.7.2016 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के विरूद्व सम्मन जारी किये किया प्रतिवादी सख्या–1 की और से दिनांक 8.11.2016 को जबाव प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किय जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी सख्या – 2 के सम्मन तामील होने के उपरान्त की अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

वाद के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से जाहिर है कि वादगस्त आराजी खसरा न0 429 मे वादी का 1/5 हिस्सा है, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का है शेष 3/5 हिस्सा प्रतिवादी सख्या–2 का है। ख0न0 539/35 रकबा 30 बीघा भूमि मे वादी का 4/5 हिस्सा है तथा शेष 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 का है। वादी ने इसी प्रकार विभाजन चाहा है। प्रतिवादी संख्या –1 को विभाजन मे कोई आपती नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। वादी ने अभिलेख मे दर्ज उसके हिस्से अनुसार ही विभाजन चाहा है जिससे विभाजन हेतु वाद स्वीकार योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मोजा कलावा के खसरा न0 429 क्षैत्रफल 8 बीघा 7 विस्वा मे वादी का 1/5 हिस्सा तथा खसरा न0 539/35 रकबा 30 बीघा भूमि में वादी के 4/5 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार पचपदरा विभाजन निमयों को ध्यान मे रखते हुये विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे प्रतिवादी संख्या 1,2 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विभाजन उपरान्त वादी के हिस्से की भूमि का उसके कब्जे व काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करें। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार मे दिनांक 19.1.2017 को पेश हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)
सहायक कलेक्टर
(एसडीओ) बालोतरा

प्राथमिक डिगरी व मुकदमा इफराज

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

बअदालत सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा मुकाम

बइजलास श्री प्रभातीलाल जाट RAS

1. जबराराम S/o ओटाराम भील नि. बालोतरा

बनाम

1. सोना S/o [illegible] भील नि. सांभरा
2. रवीमाराम S/o उमाराम भील नि. मंडली
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 89 सन 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रूपसिंह सोलंकी अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व बहाजरी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी की [illegible] के खसरा नं. 429 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा मे वादी का 1/5 हिस्सा तथा खसरा नं. 533/35 रकबा 30 बीघा भूमि मे वादी के 4/5 हिस्से का [illegible] बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार पचपदरा विभाजन नियमों को ध्यान में रखते हुए विभाजन [illegible] प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे * बाबत

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

आज तारीख 15 माह 12 सन 2016 को मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के साथ जारी की गई।

* प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विभाजन अवधि वादी के हिस्से की भूमि का उसके कब्जे व काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

दस्तखत (प्रभातीलाल जाट)

ओहदा सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

मुहर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलह		रुपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प बजह सबूत	....			महनताना वकील ( ) पर	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....						
मीजान	....			मीजान	....		

नोट :— इस पर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

9-11-17

पक्षकारों पेश हुए

दोनों पक्षों के वकील उपस्थित...

तहसीलदार मन्डफिया ने अपनी पत्रांक/ मु.क्र./2017/3437 दिनांक 10-10-2017 द्वारा मौका का विभाजन कर प्रस्ताव पेश किये जिस पर दोनों पक्षों को सुना गया दोनों पक्षों ने विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने में कोई आपत्ति नहीं की है। अतः यह स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार मन्डफिया के मौका विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर निम्न लिखित अंतिम डिक्री पारित की जाती है।

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	कलर
1-	भगवानराम S/o लेहराराम जाति जाट निवासी काश्तकार	429	1-14	रे.प्र.	1.07	लाल
		539/35	24-00	अ.कृ.	1.68	--
		2	25.14	-	2.75	लाल
2-	सोना S/o दगाना जाति निवासी सांकरा स्वामीनाथ	429	1-14	रे.प्र.	1.07	हरा
		539/35	6.00	अ.कृ.	0.42	״
		2	7.14	-	1.49	हरा
3-	रघुनाथराम S/o उदाराम जाति मंडली	429	4-19	रे.प्र.	3.12	काला
		1	4.19	रे.प्र.	3.12	काला

उपरोक्तानुसार ~~तहसीलदार~~ मन्डफिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे नक्शा विभाजन का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री पारित जारी हो।

मिसल बाद तकमील शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ~~पक्षकारों को~~ निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर